# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई–मेल : nigam_bhilai@yahoo.co.in

क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1246 — भिलाई, दिनांक 13/2/2025

प्रति,

उप पंजीयक
पंजीयन कार्यालय, दुर्ग
जिला दुर्ग (छ0ग0)।

विषय :– अवैध प्लाटिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाये जाने बाबत्।

---0000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थल पर जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रं. | ग्राम | खसरा नम्बर | स्थल का पता |
|---|---|---|---|
| 1 | कुरूद | 1368, 1373, 1374,1376/01 | एसीसी कॉलोनी के पास, कुरूद |
| 2 | कुरूद | 1418 | सांई नर्सरी, सुन्दर विहार फेस 01 |
| 3 | कुरूद | 1524, 1556 | मुक्तिधाम बिजली ऑफिस के पीछे |
| 4 | कुरूद | 1327, 1328/01, 1330 | गोकुल नगर कुरूद |
| 5 | कोहका | 6150, 6150/01, 6150/02, 6150/03 | शांति नगर महादेव कॉलोनी |
| 6 | कोहका | 6810/06, 6810/07, 6810/08,6810/09, 6810/10, 6810/11 | शांति नगर, कृपाल नगर |
| 7 | कोहका | 5371–5513, 9343–9367 | बाबादीप सिंह नगर |

उक्त स्थल पर अवैध प्लाटिंग कार्य करने के उद्देश्य से कच्चा मार्ग व प्लाट मार्किंग का कार्य किया गया है जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने की अपनी मनसा को स्पष्ट करता है जो कि कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 संशोधन नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रू. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः अवैध प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा खसरों पर अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय किये जा रहे भूखण्डों के पंजीयन पर रोक लगाये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने तथा उक्त खसरों पर हुए पंजीयन की जानकारी (क्रेता–विक्रता का नाम, पता ) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अवैध प्लाटिंग कर्ताओं पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा सकें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1247 — भिलाई, दिनांक 13/2/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं अवैध कॉलोनी के भूखण्डों की रजिस्ट्री पर रोक लगाये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

D:\SANDEEP\colony\अवैध प्लाटिंग\LETTER AND NOTSHEET\पंजीयक.doc